न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 06/2018 **दायर दिनांकः 22.06.2018**

उनवान

1. बद्री बाई पत्नि ओंकारलाल जाति मीणा निवासी जिरोद तह0 अटरू जिला बारां राज0।

बनाम

1. चन्द्रप्रकाश पुत्र औंकार लाल जाति मीणा निवासी जिरोद तह0 अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भरण पोषण अधिनियम 2007 धारा 6

निर्णय दिनांक 07.01.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम 2007 धारा 6 इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थिया के पुत्र चन्द्रप्रकाश पुत्र ओंकारलाल जिसने अपनी माता प्रार्थिया को दिनांक 13.06.2018 को रात 12 बजे घर से निकाल दिया और प्रार्थीया को बुरी—बुरी गालियां देता है। और खाना खुराक भी नही देता है। अगर कोई आस—पास के खाना खिलाते है, और उनसे भी गाली गलोंच करता है। प्रार्थीया के साथ मारपीट करता रहता है। बहन और माता का जमीन में हक त्याग करवा लिया है। प्रार्थीया के पति की मृत्यु हो चुकी है। एवं उसकी पत्नि भी प्रार्थीया को परेशान करती है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उचित कार्यवाही करें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये नोटिस की गई, अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर एक तरफा कार्यवाही की गई, प्रार्थीया को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीया विधवा व बुजुर्ग महिला है। कार्य करने में असमर्थ है। अतः न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:कियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र स्वीकार योग्य है, प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को आदेश दिये जाते है, कि प्रार्थिया बद्री बाई को भरण—पोषण हेतु प्रति माह 2000/—रूपये नगद अदा करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां